न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 005/2018 (GCMS 2018/00171)	दायर दिनांक 19.01.2018	निर्णय दिनांक 24.03.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

लखपत सिंह पुत्र नरपत सिंह (विक्रेता/मालिक)
मैसर्स जोगणिया जोधपुर मिष्ठान भण्डार,
ग्राम सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ राजस्थान,
निवासी ग्राम बावड़ी तह. फलौदी जिला जोधपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपेन्द्र मिश्रा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था एवं उपेन्द्र मिश्रा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक क्रमांक/एफएसएसए/एफ–168/2015/491 दिनांक 29.06.2015 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 28.10.2015 को समय 01.30 पीएम पर मैसर्स जोगणिया जोधपुर मिष्ठान भण्डार ग्राम सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर पहुंचे। वहां पर लखपत सिंह पुत्र नरपत सिंह उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ मावा का पेड़ा आदि खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं बाबुसिंह की उपस्थिति में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर काँच के काउन्टर में एक एल्यूमिनीयम ट्रे में, लगभग 5 किलो मावा पेड़ा तैयार की हुई रखी पाई गई। व्यापारी ने बताया कि उक्त मावा पेड़ा आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु तैयार की गई है एवं विक्रय की जा रही है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावा पेड़ा जो कि लगभग 5 किलो थीं में से 2 किलोग्राम मावा पेड़ा वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 500/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा मावा पेड़ा को चार बराबर भागों में बाट कर चार प्लास्टिक जारो में अलग-अलग भरकर फोर्मलिन की 40-40 बुन्दे डालकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-593** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर उनके द्वारा हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

कर चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/3970 दिनांक 17.11.2015 द्वारा ज्ञात हुआ कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावापेड़ा का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सब्सटेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स जोगणिया जोधपुर मिष्ठान भण्डार ग्राम सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई थी। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 3970 दिनांक 17.11.2015 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/647 दिनांक 16.02.2017 के द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/स.सी./2017/1003 दिनांक 03.10.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। साथ ही अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/4442 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा आवेदक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, का पत्र मुल संलग्न है। उक्त प्रकरण में निम्न अभियुक्तगणों ने सब्सटेण्डर्ड मावापेड़ा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2005 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है, अंत में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 08.03.2018 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता रजनीश पीतलिया हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 05.03.2020 को अप्रार्थी की ओर से जवाब परिवाद पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि मैसर्स जोगणीया जोधपुर मिष्ठान भण्डार गांव सावा तथा उक्त फर्म विक्रेता/मालिक तथाकथित अभियुक्त लखपत सिंह होना स्वीकार है तथा आवेदक को अभियुक्त द्वारा खाद्य लाईसेन्स मांगने पर बताया गया जो कि सही एवं सत्य था तथा आवेदक द्वारा दुकान मालिक से मिठाईयों के बारे में जानकारी मांगी गई जिस पर दुकान मालिक द्वारा मिठाईयों खुद के द्वारा दुकान पर शुद्ध दुध से मावा तैयार कर बनाया जाना बताया गया जो कि सही है। आवेदक द्वारा चरण संख्या 2 में गवाहों के सामने मावे का सेम्पल लेना अंकित किया गया जबकि आवेदक द्वारा जिन गवाहों का अंकन किया गया है वह गवाह आवेदक के साथ आये हुए व्यक्ति ही थे ना की कोई आम व्यक्ति जिनकों उक्त मामले से कोई लेना–देना नहीं हों। उसके पश्चात् आवेदक द्वारा दुकान मालिक को कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। उक्त कागजों के बारे में आवेदक द्वारा किसी प्रकार की कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। आवेदक ने दुकान मालिक से पेडे (मिठाई) का सेम्पल खरीदा। इसके पश्चात् किसी प्रकार सील चीट किये, इसकी जानकारी दुकान मालिक को नहीं है। आवेदक दिनांक 28.10.2015 को मैसर्स जोगणीया जोधपुर मिष्ठान भण्डार सावा पर उपस्थित हुए जिनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति थे। उक्त आवेदक ने मिष्ठान भण्डार के मालिक को अपना परिचय पत्र दिखाया, उसके पश्चात् दुकान मालिक ने पूर्ण रूप से कार्यवाही में सहयोग करते हुए जो जानकारी आवेदक द्वारा मांगी गई जो तुरन्त उपलब्ध करवाई तथा मिठाईयों को बनाने की प्रक्रिया जिस प्रकार से मिठाईयां निर्मित की जाती है सभी जानकारी उपलब्ध करवाई। मिष्ठान भण्डार मालिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लखपत सिंह द्वारा खाद्य पदार्थो के निर्माण में किसी प्रकार की कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तथा प्रत्येक दिन गांव से दुध खरीद कर इकठ्ठा कर मावा निर्मित किया जाता है। जिसके बारे में दुकान मालिक ने आवेदक को सम्पूर्ण सही जानकारी दी तथा यह तक निवेदन किया कि आस पास के व्यक्ति तथा चौराहे पर अन्य दुकानदारों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते है कि मेरे द्वारा मिठाईयों का निर्माण किसी प्रकार से किया जाता है तथा अच्छी या खराब गुणवत्ता के बारे में आस पास से जानकारी प्राप्त कर सकते है परन्तु आवेदक द्वारा इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई। आवेदक द्वारा मिष्ठान भण्डार मालिक के विरुद्ध उक्त आवेदन सेम्पल एकत्रित करने के लगभग 2 साल बाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मामले में किसी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं थी क्योंकि यदि दुकान मालिक की मिठाईयों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी होती अथवा मिठाईयों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती तो आवेदक द्वारा दुकान मालिक के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए थी परन्तु उक्त प्रकरण दुकान मालिक के विरुद्ध आवेदक द्वारा महज अपना लक्ष्य पूरा करने की आवेदक ने पद पर रहते हुए साल भर में इतने प्रकरण बनाये ताकि आवेदक अपना सर्विस रिकार्ड अच्छा बता सकें। खाद्य विभाग द्वारा इस प्रकार उक्त कार्यवाही महज अपने कार्यालय के लक्ष्य की खानापूर्ति के लिए की गई है ताकि विभाग बता सकें की हमने काम करते हुए प्रकरण बनाये परन्तु आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण बिना सोचे समझे तथा बिना गुणावगुण की जांच किये तथा गलत तरीके से बनाया है जबकि आवेदक अपनी दुकान पर ग्राहकों को शुद्ध मिठाईयां उपलब्ध कराता है। जिनका निर्माण स्वयं कच्चे माल से करता है। इसके लिए दुकान मालिक ग्राम सावा से आम नागरिकों के शपथ पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत करवा सकता है जिनको यह ज्ञात है कि दुकान मालिक द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावटी मिठाईयां नहीं बेची जाती है तथा ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी चीज का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि तथा निर्मित मिठाईयां को पूर्ण सुरक्षा कांच के बक्षों में रखा जाता है जिससे किसी प्रकार के जीव उक्त मिठाईयों पर नहीं आ सकें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक के आवेदन पत्र का जवाब स्वीकार फरमा कर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त आवेदन को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 17.02.2021, 24.02.201, 03.03.2021 एवं 10.03.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी हाजिर नहीं आये। दिनांक 24.03.2021 को भी अधिवक्ता अप्रार्थी हाजिर नहीं आये। इस पर हमने पत्रावली को बागौर आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने बाबत् वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मावा पेडा का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती हैं, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 28.10.2015 का अवलोकन किया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 28.10.2015 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा पेडा जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-593** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 68 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2015/08 दिनांक 28.10.2015 से पत्रवाहक माधवलाल (सहायक कर्मचारी) के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-593** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद को अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक माधवलाल (सहायक कर्मचारी) द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 29.10.2015 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2015/3970 दिनांक 17.11.2015 से विपक्षी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 597/Act/2015/593 Dated 30-10-2015** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

597/Act/2015/593 Dated 30-10-2015 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report No. LS 597/Act/2015/593 Dated 30-10-2015

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Upendra Mishra Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Mawa ka peda bearing code no. and serial no. AM- 593 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 29.10.2015 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 68 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Mawa ka peda falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in condition fit for analysis and has been analyzed on 29.10.2015 to 30.10.2015 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The Sample contained in a wide mouth pet bottle screwed with lid.

(ii) Physical appearance:- Creamish in color.

(iii) Label :-- Loose Sample of Mawa ka peda.

Opinion:- The sample Mawa ka peda Bearing code no. and serial no. AM- 593 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as Butyrorefractometer reading at 40°c is does not meet the specified standards as prescribed in Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा पेडा सबस्टेण्डर्ड पाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए /2015/3970 दिनांक 17.11.2015 से विपक्षी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 597/Act/2015/593 Dated 30-10-2015** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है एवं विपक्षी को अवगत कराया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत विपक्षी नमूने के द्वितीय भाग रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच हेतु अपील प्रस्तुत कर सकता हैं। हमने खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या **LS 597/Act/2015/593 Dated 30-10-2015** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 29.10.2015 से 30.10.2015 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Mawa ka peda falling**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.,एवं The sample Mawa ka peda Bearing code no. and serial no. AM- 593 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as Butyrorefractometer reading at 40°c is does not meet the specified standards as prescribed in Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप मावा पेडा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब्सटेण्डर्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि स्वरूप खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2015/3970 दिनांक 17.11.2015 का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा विपक्षीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 597/Act/2015/593 Dated 30-10-2015** की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया, उक्त पत्र रिकार्ड पर होकर शामिल पत्रावली है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2017/647 दिनांक 16.02.2017 से आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान से उक्त प्रकरण में समयावधि बढाने हेतु निवेदन किया गया। इस पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान द्वारा आदेश क्रमांक/एफएसएसए/सं.सी/2017/1003 दिनांक 03.10.2017 से अन्तर्गत धारा 77 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के समय सीमा का विस्तार किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2016/4432 दिनांक 26.10.2017 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब परिवाद में उठाये गये तथ्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद के संबंध में समस्त तथ्य पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया है, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, इसके साथ ही विक्रेता का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

(i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;

(ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and

(iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

(i) which is unsafe; or

(ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or

(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or

(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or

(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

(a) Supplied after the date of its expiry; or

(b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or

(c) Unsafe or misbranded; or

(d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or

(e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or

(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or

(b) handled or kept in unhygienic conditions; or

(c) misbranded; or

(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने का से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे विपक्षी श्री लखपत सिंह पुत्र नरपत सिंह (विक्रेता/मालिक) मैसर्स जोगणिया जोधपुर मिष्ठान भण्डार, ग्राम सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ राजस्थान, निवासी ग्राम बावड़ी तह. फलौदी जिला जोधपुर राजस्थान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई हैं, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से विपक्षी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त श्री लखपत सिंह पुत्र नरपत सिंह (विक्रेता/मालिक) मैसर्स जोगणिया जोधपुर मिष्ठान भण्डार, ग्राम सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ राजस्थान, निवासी ग्राम बावड़ी तह. फलौदी जिला जोधपुर राजस्थान को रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में अभियुक्तगण से शास्ति राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करावें एवं नियत समयावधि में अभियुक्तगण द्वारा शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>24.03.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested